# भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण
# Telecom Regulatory Authority of India

**मसौदा**

**दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2023**

**(___2023 का)**

**_____ जुलाई 2023**

**महानगर दूरसंचार भवन,**
**जवाहर लाल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड),**
**नई दिल्ली - 110 002**

दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2023 के मसौदे पर हितधारकों से 14 अगस्त, 2023 तक लिखित टिप्पणियाँ आमंत्रित की जाती हैं। टिप्पणियाँ भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर पोस्ट की जाएंगी। टिप्पणियाँ, अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में, श्री ए.के. सिंह, सलाहकार (सीए एवं आईटी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को ई-मेल:- advisorit@trai.gov.in और ja-cadiv@trai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री. ए.के. सिंह, सलाहकार (सीए एवं आईटी) से दूरभाष क्रमांक: +91-11-23210990 पर संपर्क किया जा सकता है।

**मसौदा**

**भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिसूचना**

नई दिल्ली, ____________, 2023

क्रमांक आरजी-10/4/(3)/2021-सीए [ई-3910]--- भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 36 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार इसके द्वारा दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्: -

**दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2023**

(2023 का ___)

1. (1) इन विनियमों को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जाएगा।

   (2) ये आधिकारिक राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 (2007 का 6) (इसके बाद इसे " प्रमुख विनियम" के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के विनियम 2 में, -

   (क) खंड (ख) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्: -

   "(खक) "बैंक" का अर्थ है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या प्राधिकरण द्वारा नामित कोई अन्य अनुसूचित बैंक;";

   (ख) खंड (ड़) को हटा दिया जाएगा।

3. मुख्य विनियमों के विनियम 3 में, उप-विनियम (2) के परंतुक में -

   (क) खंड (i) में, शब्द "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के अंतर्गत दावा दायर किया है" के स्थान पर, "उपभोक्ता फोरम के समक्ष दावा दायर किया है" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

   (ख) खंड (ii) में, "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 के अधीन कोई आदेश दिया गया है अथवा" शब्दों के स्थान पर, "उपभोक्ता फोरम द्वारा अथवा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

4. मुख्य विनियमों के विनियम 4 में, -

(क) उप-विनियम (1) में, " कॉर्पोरेशन बैंक की उक्त बैंक द्वारा उक्त प्रयोजन के लिए अभिहित शाखाओं में" शब्दों के स्थान पर "बैंक की नामित शाखाओं में" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ख) उप-विनियम (2) में, " कॉर्पोरेशन" शब्द, जहां कहीं भी प्रकट हो, इसे हटा दिया जाएगा।

5. मुख्य विनियमों के विनियम 5 में, -

(क) उप-विनियम (4) में, "बैंक में" शब्दों से पहले आने वाला शब्द " कॉर्पोरेशन" हटा दिया जाएगा;

(ख) उप-विनियम (4क) में, "समय-समय पर" के बाद आने वाला शब्द " कॉर्पोरेशन" शब्द हटा दिया जाएगा।

6. मुख्य विनियमों के विनियम 6 में, उप-विनियम (2) में, खंड (ग) के बाद, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, अर्थात्: -

"(घ) दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के खातों की तैयारी, रखरखाव और लेखापरीक्षा के लिए शुल्क का भुगतान करना;

(ङ) ऐसे खर्चों का भुगतान करने के लिए जो विनियम 13(क) के तहत किए जा सकते हैं:"।

7. मुख्य विनियमों के विनियम 13 में,-

(क) "निम्न के द्वारा" शब्दों से पहले आने वाले शब्दों "का वहन" हटा दिया जाएगा;

(ख) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(क) प्राधिकरण के साथ पंजीकृत ऐसे स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठनों में से विनियमन 8 के खंड (ख) के अधीन प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच प्रतिनिधियों के संबंध में, प्राधिकरण के अनुमोदन से विनियमन 5 के उप-विनियम (2) के खंड (ख) में निर्दिष्ट आय से पूरा किया जाएगा;";

(ग) खंड (ख) में "एसोसिएशन के द्वारा" शब्दों से बाद, " द्वारा वहन किया जाएगा" शब्द डाले जाएंगे।

8. मुख्य विनियमों के विनियम 16 में, उप-विनियमन (1) में, "किसी व्यक्ति को" शब्दों के बाद आने वाले शब्द "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) के अंतर्गत" हटा दिए जाएंगे।

**(वी. रघुनंदन)**

**सचिव, भादूविप्रा**

टिप्पणी 1---- प्रमुख विनियम अधिसूचना संख्या 322/4/2006-क्यूओएस (सीए) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 दिनांक 15 जून, 2007 में प्रकाशित किए गए थे।

टिप्पणी 2----मुख्य विनियमों को अधिसूचना संख्या 322-8/2010-सीए द्वारा संशोधित किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 दिनांक 7 मार्च, 2011 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 3----मुख्य विनियमों को अधिसूचना संख्या 324-2/2013-सीए द्वारा संशोधित किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 दिनांक 10 जुलाई, 2013 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 4----मुख्य विनियमों को अधिसूचना संख्या 324-2/2013-सीए द्वारा संशोधित किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 दिनांक 26 जून, 2014 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 5----मुख्य विनियमों को अधिसूचना संख्या 324-5/2018-सीए के माध्यम से संशोधित किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 दिनांक 18 जुलाई, 2018 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 6---- प्रमुख विनियमों को अधिसूचना संख्या 324-5/2018-सीए के माध्यम से संशोधित किया गया और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 दिनांक 16 जनवरी, 2020 में प्रकाशित किया गया।

टिप्पणी 7---- विवरणात्मक ज्ञापन दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि (छठा संशोधन) विनियम, 2023 (2023 का ____) के उद्देश्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

## विवरणात्मक ज्ञापन

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने 15 जून 2007 को दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि विनियम, 2007 [(2007 का 6) [इसके बाद प्रमुख विनियम के रूप में संदर्भित] को अधिसूचित किया था। इन विनियमों के संदर्भ में, "दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि"

(टीसीईपीएफ) नामक एक कोष की स्थापना की गई है। कोष से प्राप्त आय का उपयोग उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण से संबंधित कार्यक्रमों और गतिविधियों को चलाने के लिए किया जाता है।

2. प्राधिकरण ने देखा कि तैयारी, रखरखाव, खातों की लेखापरीक्षा और दूरसंचार उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण निधि के उपयोग के लिए समिति (इसके बाद "सीयूटीसीईएफ" के रूप में संदर्भित) की बैठकों में भाग लेने वाले उपभोक्ता समूहों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के लिए निधि से कुछ खर्च किए जाने हैं, जिसके लिए विनियमों में स्पष्ट प्रावधानों की आवश्यकता है। तदनुसार, प्रमुख विनियमों के विनियम 6 एवं 13 में संशोधन प्रस्तावित किये गये हैं।

3. वर्ष 2020 के दौरान कॉरपोरेशन बैंक, जिसमें फंड रखा गया है, का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में विलय कर दिया गया है। इसके अलावा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 (1986 का 68) को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) द्वारा निरस्त कर दिया गया है। इसलिए, प्रमुख विनियमों में प्रासंगिक प्रावधानों को बदलने के लिए संशोधन किए गए हैं।

---